रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी 2014

फा. सं/(सी)एम/पीएनजीआरबी .100.— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006(19 का 2006) की धारा यों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शक्तिद्वारा प्रदत्त 61 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ) विनियामक बोर्ड एतदद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विनियम (विनियमों का निर्धारण,में संशोधन करने के ल 2008 िए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. नाम और प्रारंभणसंक्षिप्त

) 1 (इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन) द्वितीय संशोधन विनियम (टैरिफ का निर्धारण, कहा जाएगा। 2014

)2 (ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. में संशोधन। 4 विनियम

विनियम (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, के बाद 4 के विनियम 2008, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत :

"4 . प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण।

(1) विनियम के उप 3-विनियम)1(, उप-विनियम)2) विनियम-या उप (3के अंतर्गत शामिल (क में दी गई कार्यपद्धति के -कंपनी के संबंध में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को अनुसूची अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(2) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के निर्धारण से पूर्व बोर्ड अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिसमें हितधारकों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (संबंधित कंपनी सहित) टैरिफ के निर्धारण में भाग लेने का अवसर उपलबध कराने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श वेज शामिल होगा।दस्ता

(3) हितधारकों ,णियांअपनी टिप्प (संबंधित कंपनी सहित) सार्वजनिक सूचना को वेब पर डालने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर लिखित में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

(4) उप-विनियम)3 कराई गई पणियां देने के लिए उपलब्धमें संदर्भ अनुसार हितधारकों को टिप्प (अवधि के समाप्त होने पर, बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों को संबंधित कंपनी को उनके प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर उत्तर देने के लिए भेजेगा। बोर्ड, यदि आवश्यक समझे तो सभी हितधारकों, जिन्होंने अपनी टिप्पणियां दी हैं और संबंधित कंपनी को भी चर्चा के लिए आमंत्रित कर सकता है। बोर्ड कंपनी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ फाइल, हितधारकों की टिप्पणियों, संबंधित कंपनी का उत्तर और चर्चा, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।"

केर रावराजेश्व ., ओएसडी(आर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/13]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को सा.का.नि.807 (अ20 दिनांक (-11- त्‌श्चाद्वारा और तत्प 2008 सा.का.नि.986 (अ20 दिनांक (-12-2010, फा. सं/(सी)एम/पीएनजीआरबी .11 फाइनल/टैरिफ फाइलिंग दिनांक 30-05-2012, फा. सं. पीएस/(सी)एम/सचिव/2012 दिनांक 13-09-.तथा फा 2012 सं. पीएनजीआरबी/एम/(सी)48 दिनांक 17-02- को अधिसूचित किया गया था। 2014

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2014

F. No. PNGRB/M(C)/100.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff Regulations) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 4.

For regulation 4 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:-

" 4. Determination of natural gas pipeline tariff.

(1) The natural gas pipeline tariff in respect of an entity covered under sub-regulation (1), sub-regulation (2) or sub-regulation (3) of regulation 3 shall be determined as per the procedure at Schedule A.

(2) Prior to determination of the natural gas pipeline tariff, the Board shall issue a public notice on its website containing a public consultation document providing an opportunity to stakeholders (including the entity concerned) to participate in the determination of the natural gas pipeline tariff.

(3) Stakeholders (including the entity concerned) may submit their comments in writing within fifteen days from the date of webhosting of the public notice.

(4) On the expiry of the period provided for stakeholder comments as referred to in sub-regulation (3), the Board shall forward the comments received to the entity concerned for it to submit its response within fifteen days of the receipt thereof. The Board may, if required, also invite all stakeholders who have offered their comments including the entity concerned for discussions. The Board shall after considering the tariff filings by the entity, the comments of other stakeholders, the response of the entity concerned and discussions, if any, issue the tariff order.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/13]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 807(E) dated 20-11-2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 986(E) dated 20-12-2010, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing dated 30-05-2012, F. No. PS/Secy./M(C)/2012 dated 13-09-2012 and F. No. PNGRB/M (C)/48 dated 17-02-2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.